

अपील सूचना अधिकार संख्या 114/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व० श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर(सतर्कता), श्रीगंगानगर

11-02-2017

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।



अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 03.05.2016 के द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर से चाही गई सूचना उनके द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 03.05.2016 के द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थी:-

1. आपके पत्रांक 925 दिनांक 25.02.16 सम्बोधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के कार्यालय में पहुंचने की तारीख व रिसिप्ट रजिस्टर के क्रमांक व दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना।
3. पत्र प्राप्ति से इस आवेदन का जवाब देने तक जो-जो कार्यवाही जिस-जिस कर्मकार द्वारा की गई है उसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
4. आपके आदेश की पालना में श्री जी.एस.गिल के विरुद्ध वरिष्ठ प्रबन्धक दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा सुभाष चन्द्र बैंक कर्मी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई उस नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।
5. आपके पत्रांक के साथ प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र की जो प्रति एसडीएम साहब को भेजी गई है उसकी नकल की प्रति व तथ्यात्मक रिपोर्ट न भेजने पर आप द्वारा आपके आदेश की पालना में कार्यवाही न करने पर जिस नियम के अन्तर्गत एसडीएम के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई उसकी सूचना।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) श्रीगंगानगर ने अपने जबाब सं० 849 दिनांक 20.07.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना उनके कार्यालय के पत्र सं० 577 दिनांक 23.05.2016 के द्वारा पंजिकृत डाक से प्रार्थी को समय पर उपलब्ध करवा दी गई थी। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) श्रीगंगानगर द्वारा पत्र सं० 576-577 दिनांक 1828 दिनांक 14.10.2015 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया है:-

साहब
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

P-7

आप द्वारा चाही गई उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 6 की सूचना के संबंध में लेख है कि:-

1. बिन्दु संख्या 1 के तहत रिसिप्ट रजिस्टर नम्बर व दिनांक की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि (एक पृष्ठ) हेतु निर्धारित शुल्क (दो रुपये प्रति पृष्ठ) जमा करावें ताकि आपको सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई जा सके।

2. बिन्दु संख्या 5 में वर्णित प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु निर्धारित शुल्क (दो रुपये प्रति पृष्ठ) जमा करावें ताकि आपको सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई जा सके।

3. शेष बिन्दु संख्या 2 से 4 के संबंध में आपको अवगत करवाया जाता है कि सूचना अन्वेषण कर, ढूँढकर नये प्रारूप में चाहने की श्रेणी में आती है राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस-विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक, सविदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल संबंधी सामग्री शामिल है। लोकसूचना आधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना एवं ऐसे खोजे गये तथ्य आवेदक को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात् दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध हो।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप कार्यालय में उपलब्ध प्रकरण से संबंधित अभिलेखों का निरीक्षण कर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर सकते हैं। यदि आप इस सूचना से असंतुष्ट हैं तो प्रथम अपीलीय अधिकारी श्रीमान् जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष 30 दिवस के भीतर अपील कर सकते हैं।

लोक सूचना अधिकारी के उक्त प्रतिवेदन के अनुसार बिन्दु सं० 1 की एक पृष्ठ की सूचना के लिए दो रुपये एवं बिन्दु सं० 5 की सूचना के लिए दो रुपये जमा करवाकर सूचना प्राप्त करने के लिए अपीलार्थी को लिखा गया है जो अपीलार्थी को राशि जमा करवाकर लोक सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त करनी चाहिए। शेष बिन्दु सं० 2 से 4 की चाही गई सूचना कोई निश्चित व स्पष्ट सूचना नहीं है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात् दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते हैं और न ही वे स्वयं का मत दे सकते हैं। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नहीं दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नहीं है। इस प्रकार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को बिन्दु सं० 2 से 4 की सूचना के संबंध में दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 23.05.2016 सही है। फिर भी सूचना अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि वे अपने कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के निरीक्षण हेतु आदेश प्राप्ति से 15 दिवस की तिथि नियत कर अपीलार्थी को सूचित करें और उस नियत तिथि पर अपीलार्थी को अभिलेख का निरीक्षण करवाया जावे और अपीलार्थी उपलब्ध अभिलेख में से जो भी सूचना लेना चाहे वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक मौल दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञान राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

477-78
02/3/2017